

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 11-09-2021

अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव व प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह के निकल पर्यवेक्षण में उ०नि० चन्दन नारायण द्वारा मय हमराह कर्मचारीगण के अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने वाला एक नफर वांछित अभियुक्त रंजय पुत्र बुद्धीराम निवासी ग्राम गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर सम्बन्धित मु०अ०सं० 118/2021 धारा 60,60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि० थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को मुखबीर खास की सूचना पर गुआर कोटियामान सिंह के बीच पुलिया के पास समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त रंजय पुत्र बुद्धीराम निवासी ग्राम गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 11.09.2021.समय 10.30 बजे, गिरफ्तारी का स्थान – गुआर कोटियामान सिंह के बीच पुलिया के पास

पंजीकृत अभियोग –

मु सं०अ०118 2021/धारा (2)60,60 ,63272 , आबकारी एक्ट व/भादवि 2730 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी टीम मे सम्मिलित पुलिस अधि०/कर्मचारी-

1. प्र०नि० राणादेवेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ०नि० चन्दन नारायण
3. उ०नि० बैजनाथ बिन्द
4. आरक्षी अभिषेक कुमार
5. आरक्षी मोहित कुमार सिंह